अर्द्धशा०पत्रसं०-डीजी-पांच-सू० अ० (विविध)2005

आर०के० तिवारी
भा०पु०से०

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
1-तिलक मार्ग, उ०प्र०
लखनऊ

दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 15,2005

प्रिय महोदय,

'द राइट टू इंफॉरमेशन ऐक्ट-2005' के संबंध में इस मुख्यालय से निर्गत परिपत्र सं0: 50/2005 दिनांक 12.10.2005 के क्रम में मुख्यालय स्तर पर इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधानों का संक्षेप संकलित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया इसकी प्रतियां जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों,थाना प्रभारियों व कार्यालय स्टाफ को इस आशय से उपलब्ध करा दें कि वे इसे पढ़कर भलीभांति समझ लें और विभिन्न प्राविधानों से भिज्ञ रहें ताकि अपेक्षानुसार समय से उचित कार्यवाही हो सके। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिये शासनादेश सं0 6184ख/6-पु0-4-05 सं0 993/43-2-2005 दिनांक 19.10.05 से निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 तिवारी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,उ0प्र0।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधान

क्र0 सं0	अधि नियम की धारा	प्राविधान	अपेक्षित कार्यवाही	आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	निर्धारित समयावधि	टिप्पणी
1	6	अनुरोध की प्राप्ति	अनुरोध पत्र की प्राप्ति की जाए	राज्य जन सूचना अधिकारी व सहायक जन सूचना अधिकारी	तत्काल	–
2	7	प्राप्त अनुरोध का निपटारा	फीस भुगतान की तिथि से तीस दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जायेगी।विहित फीस का भुगतान अनुरोध कर्ता द्वारा अनुरोध के साथ किया जायेगा।	राज्य जन सूचना अधिकारी	सामान्यतया 30 दिवस	यदि चाही गयी सूचना व्यक्ति के जीवन (Life) या स्वतंत्रता (Liberty) से संबंधित है तो उस सूचना को अनुरोध की प्राप्ति **से 48 घण्टे** के अन्दर प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
3	7(2)	प्राप्त अनुरोध पर **कालावधि के भीतर विनिश्चय (decision) करने में असफल होना**	–	राज्य जन सूचना अधिकारी		राज्य जन सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय(**decision**) करने में यदि असफल रहता है,तो यह समझा जायेगा कि अनुरोध नामंजूर कर दिया गया हैं।
4	8 व 9	सूचना को प्रकट करने से विमुक्ति (Exemption)	धारा 8 व 9 में उपबन्धित विषयों की सूचना नहीं दी जायेगी।	राज्य जन सूचना अधिकारी	–	आदेश में सूचना धारा 8 व 9 के अंर्तगत विमुक्त होने के कारण आवेदक को वांछित **सूचना न दिये जाने का कारण** भी अभिलिखित किया जाना उचित होगा
5	10	पृथकत्व योग्य सूचना (Separable information)	प्रकटन से विमुक्ति सूचना से युक्तियुक्त रूप से जिसे पृथक किया जा सकता है।	राज्य जन सूचना अधिकारी	30 दिवस	धारा 8 व 9 के अंर्तगत प्रकटन से विमुक्ति सूचना से युक्तियुक्त रूप से पृथक की गयी सूचना प्रकट की जा सकती है।

6	11	तीसर पक्ष (धारा 2(एन) में परिभाषित) को सूचना (तीसरे पक्ष से अभिप्रेत है सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति इसमें कोई जन अधिकारी भी सम्मिलित है)	1.तीसरे पक्ष को नोटिस 2.नोटिस प्राप्ति के **दस दिवस** के अंदर प्रस्तावित सूचना को अवगत कराना।	राज्य जन सूचना अधिकारी	5 दिवस	10 दिवस के अंदर प्रस्तावित प्रकटन के विरोध में अभ्यावेदन (Representation) देने हेतु समय प्रदान किया जायेगा.तीसरे पक्ष से नोटिस द्वारा अनुरोध करने का प्रयोजन **पूछा जायेगा।**
7	11 (3)	सूचना अथवा अभिलेख को प्रकट किया जाना	अनुरोध प्राप्ति से **चालीस दिनों** के भीतर यदि तीसरे पक्ष को प्रत्यावेदन देने का अवसर दे दिया गया है। अपना निश्चय इस बारे में करेगा कि क्या सूचना या अभिलेख या उसके भाग को प्रकट किया जाय अथवा प्रकट नहीं किया जाय और अपने निश्चय(decision) को लिखित में नोटिस तीसरे पक्ष को देगा।	राज्य जन सूचना अधिकारी	40 दिवस	अनुरोध धारा 6 के अधीन प्राप्त होने पर
8	15	**'राज्य सूचना आयोग'** का गठन	राज्य सरकार **'उ0प्र0 सूचना आयोग'** के नाम से एक निकाय का गठन करेगी।	राज्य सरकार	–	उ0प्र0 सूचना आयोग - इस अधिनियम के धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करेगा।
9	19	अपील	राज्य जन सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	पीड़ित पक्षकार द्वारा राज्य जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को अपील किया जा सकता है।	30 दिवस	अपीलीय अधिकारी का निर्धारण पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के परिपत्र सं0–डीजी–5–सू0अ0(विविध)/05 के अनुसार।
10	19 (6)	अपील प्राप्ति के **तीस दिवस** के अंदर अपील का निस्तारण ।	अपील का निस्तारण किया जाना	अपीलीय अधिकारी	सामान्तया 30 दिवस।	

		यदि समय बढ़ाया जाय तो 45 दिवस के अंदर अपील का निस्तारण किया जायेगा ।			अपील का समय बढ़ाने पर 45 दिवस	समय बढाये जाने के कारण को अभिलिखित किया जायेगा
11	20	**शास्तियां (Penalty)**	निर्धारित समयावधि बाद 250/- प्रतिदिवस से शास्ति, जो 25000/- से अधिक नहीं होगी।	राज्य सूचना आयोग	–	सूचना दिये जाने हेतु आवेदन पत्र को प्राप्त न करने पर अथवा युक्तियुक्त सूचना न देने पर।
12	20 (2)	**शास्तियां (Penalty)**	दुराग्रह/जिदपूर्वक सूचना प्राप्त करने के आवेदन को ग्रहण करने में विफल रहा है या **समयावधि के अंदर सूचना की आपूर्ति नहीं की है** या दुर्भावनापूर्वक सूचना के अनुरोध को इनकार किया है या जानबूझकर अशुद्ध अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी गयी है या सूचना को विनष्ट किया गया है या अवरोध उत्पन्न किया गया है।	राज्य सूचना आयोग	–	यथास्थिति राज्य जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की जायेगी।
13	21	**संरक्षण (Protection)**	सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण	–	–	कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या इसके बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हो या की जाने के लिये आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

14	22	**अध्यारोही प्रभाव (Overriding effect)**	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना	–	–	इस अधिनियम के उपबन्धों का, **शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि** में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुये भी, प्रभाव होगा।
15	23	**अधिकारिता का वर्जन (Bar of Jurisdiction of Court)**	न्यायालयों का अधिकारिता का वर्जन	–	–	कोई **न्यायालय,** इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश की बाबत कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नही करेगा और ऐसे किसी आदेश को,इस अधिनियम के अधीन अपील से भिन्न किसी रूप में प्रश्नगत नही किया जायेगा।
16	24 (3)	अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू न होना	अधिनियम की अनुसूची 2(Annexure-2) के संदर्भ में **गुप्तचर और सुरक्षा संगठनों** पर से जो **सरकार** द्वारा स्थापित है या समय-समय पर **सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट** कर सूचना पर इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी। परन्तु **भ्रष्टाचार और मानव अधिकार (Human rights) के उल्लंघन के अभिकथनों** (आरोपों) से संबंधित सूचना इस धारा के अधीन वर्जित नहीं की जायेगी।		अनुरोध की प्राप्ति से 45 दिवस के अंदर सूचना दी जायेगी।	मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी सूचना राज्य सूचना आयोग के समर्थन/ अनुमोदन के पश्चात ही राज्य जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान की जायेगी।

17	31	निरसन (Repeal)	सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 का निरसन	–	–	सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जा चुका है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. धारा–8 के अंर्तगत विषयों को छोड़कर यह अधिनियम उ0प्र0 के समस्त विभागों पर लागू होगा ।
2. पुलिस महानिदेशक का परिपत्र सं0–डीजी–5/05 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
3. राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना मांगे जाने पर संबंधित जिले/इकाई द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जायेगा।
4. इस विषय में शासन द्वारा बनाये गये नियमों व समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से निर्गत निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुये नियमानुसार समय से कार्यवाही अपेक्षित।
5. शुल्क–शासनादेश सं0 6184ख/6–पु0–4–05 सं0 993/43–2–2005 के अनुसार लागू होगा।